संख्या-156 /2020/1012/चार-2020

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 04 दिसम्बर, 2020**

विषय:- दिनांक 10 मार्च, 2020 को होली के अवसर पर कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रम की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-564/सं0नि0-15(95)/2019-20,दिनांक 23 जुलाई,2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखन्नीय है कि दिनांक 10 मार्च, 2020 को होली के अवसर पर कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रम की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासनादेश सं0-93/2020/639/चार-2020 दिनांक 20.03.2020 द्वारा प्रदान की गयी थी, किन्तु बजट के अभाव में भुगतान नही हो सका।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किदिनांक 10 मार्च, 2020 को होली के अवसर पर कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु रू0 40,745/-(चालीस हजार सात सौ पैंतालीस रूपये मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध मेंउपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रू0 40,745/-(चालीस हजार सात सौ पैंतालीस रूपये मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन कराने तथा भौतिक सत्यापन समिति की रिपोर्ट का अवलोकन करभुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
(3) उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों पर व्यय विवरण , बिल बाउचर्स सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त धनराशि रू0 40,745/-(चालीस हजार सात सौ पैंतालीस रूपये मात्र) कीचालूवित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक केअनुदान संख्या-92के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-42 अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

संख्या 156 /2020/1012/(1)/चार-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।